

भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारी को अगर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जायेगा)

जनपद झांसी में विद्युत माध्यमिक कार्यखण्ड हाईड्रिल कालोनी सिविल लाईन झांसी द्वारा 33/11 के0वी0 एम0ई0एस0 बबीना 220 के0वी0 की नई विद्युत (डबल लाईन) के निर्माण में झांसी-ललितपुर मार्ग की प्रभावित 0.0555 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बबीना पन्ती के सेंधनी आरक्षित वन ब्लकों की प्रभावित 2.448 हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 2.5035 हे0 वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं 61 वृक्षों की शाखा तरासी की अनुमति के सम्बन्ध में।(प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/ट्रांस/144301/2021)

राज्य सरकार की सिफारिशें - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-पी-109/81-2-2022-800(57)/2022 दिनांक 13 मई, 2022 के द्वारा प्रस्तुत पर संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ अग्रसारित।

उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूट टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।

हस्ताक्षर



(आशीष तिवारी)

नाम और पदनाम सरकारी मोहर सहित

पर्यावरण, वन एवं जलवायु
परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

13/05/2022